तारीख हुक्म	
10-10-22	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश पर हैं/अवकाश पर~~ पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का... ~~स्थानान्तरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-11-22 को पेश हो। रीडर
7-11-22	वकील उभयपक्ष उप./ बहस्ले वहस्ल पत्र- 21-11-22 को पेश हो T.I. आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है।
21-11-2022	वकील उभयपक्ष उप0। T.I. प्रा0 पत्र पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि0 28-11-2022 को पेश हो।
28-11-2022	वकील उभयपक्ष उप0। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दि0 26-12-2022 को पेश हो।
26/12/22	वकील उभयपक्ष उप./ सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दर्ज रजिस्टर कम हो एवं बाद तकमील मूल [illegible] दाखिल [illegible] रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री नरेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
32/2021	22.6.2021	26.12.2022

केदारलाल पुत्र सुन्दरलाल, बैरवा निवासी संजय कॉलोनी, गंगापुर सिटी

---सायल

बनाम

1. रम्बो उर्फ दलजीतसिंह पुत्र दशरथ सिंह, राजपूत निवासी नसिया कॉलोनी, जूनियर इंस्टीट्यूट के पास, गंगापुर सिटी
2. मुकेश पुत्र कंचनसिंह, राजपूत निवासी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी
3. राजू पुत्र कंचनसिंह, राजपूत निवासी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी

---गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, सायल की ओर से
श्री विकास कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट, गैरसायलान की ओर से

निर्णय

सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायल संजय कॉलोनी गंगापुर सिटी का निवासी है। सायल की खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 596 रकबा 0.30 हैक्टर, ख0न0 597 रकबा 0.68 हेक्टर ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है। जिसमे सायल काश्त करता चला आ रहा है। गैरसायलान सायल की खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 597 पर जबरदस्ती निर्माण कार्य कर रहे है तथा निर्माण कार्य करने के लिये सायल की खातेदारी की भूमि पर गैरसायलान ने बजरी पत्थर डाल दिये है। दिनांक 03.06.2021 को सायल ने गैरसायलान को जाकर समझाया कि आप मेरी खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य क्यो कर रहे हो ये मेरी जमीन है तो गैरसायलान इन बात पर नाराज हो गया तथा सायल को जान से मारने पर आमादा हो गये तथा इन्होने सायल को यह धमकी दी है कि हम तो तुम्हारी भूमि पर निर्माण कार्य करेंगे तुम्हारे मन मे आये वो कार्यवाही कर लो। गैरसायलान झगडालू किस्म के व गुण्डा प्रवृत्ति के व्यक्ति है जिन्हे कानून की कोई परवाह नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे ताफैसला दावा सायल की खातेदारी की भूमि हाल ख0न0 597 स्थित ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी मे किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करे तथा सायल को उसकी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल नही करे ना ही किसी अन्य से करावे तथा गैरसायलान ने अब तक जो निर्माण कार्य किया है उसे गैरसायलान के खर्चे से हटवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया।

कलेक्टर
(स०मा०)

गैरसायलान ने जबाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि खसरा नंबर 596 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नंबर 597 रकबा 0.68 हैक्टर ग्राम चूली तहसील गंगापुर सिटी की भूमि सायल की खातेदारी में चली आ रही है। खसरा नंबर 596 व 597 स्थित ग्राम चूली की भूमि राजस्व रिकार्ड में पडत भूमि दर्ज है तथा मौके पर सायल ने खसरा नंबर 596 व 597 की पूरी भूमि में अवैधानिक तरीके से प्लाटिंग कर दी है तथा उक्त खसरा नंबर की भूमि में करीब 25–30 लोगों ने मकान बना रखे हैं। उक्त खसरा नंबर के किसी भी हिस्से में कई वर्षों से कोई काश्त नहीं हो रही है। जबाब के विशेष विवरण मे गैरसायल ने अंकित किया है कि सायल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र झूठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वास्तविक स्थिति को छिपाते हुए प्रस्तुत किया गया है। वास्तविकता इस प्रकार है कि सायल की भूमि खसरा नंबर 596 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नंबर 597 रकबा 0.68 हैक्टर ग्राम चूली को सायल ने कई वर्षो पूर्व प्लाटिंग कर दीगर क्रेताओं को विकय कर दी है। मौके पर काश्त हेतु सायल की एक इंच भी भूमि शेष नहीं है। खसरा नंबर 596 व 597 में क्रेताओं के मकानात बने हुए है जो मौके की स्थिति को देखने से स्पष्ट है। सायल ने उक्त खसरा नंबर 596 व 597 की कृषि भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की परमीशन लिए नाजायज रूप से अकृषि में परिवर्तित कर उक्त भूमि में प्लाटिंग कर दी है। जिसका कि सायल को कोई विधिक अधिकार हांसिल नहीं है। अब सायल की नीयत खराब हो चुकी है वह गलत प्रकार से मिन गैरसायलान की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 603 को हडपना चाहता है तथा इसी उददेश्य से यह झूठा दावा प्रस्तुत किया है। गैरसायल संख्या 1 के पिता दशरथसिंह की खातेदारी की भूमि खसरा नबंर 605/2181 रकबा 0.35 हैक्टर, खसरा नंबर 606 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नंबर 606/2184 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नबंर 607 रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नंबर 608 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नंबर 609 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 604 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 602 रकबा 0.10 हैक्टर ग्राम चूली में स्थित है तथा खसरा नंबर 603 रकबा 0.26 हैक्टर गैरसायल संख्या 2 लेखराज सिंह व 3 कुबेर सिंह के पिता कंचन सिंह की खातेदारी की भूमि है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के पास ही सायल की खसरा नंबर 596 व 597 की भूमि स्थित है। सायल द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 596 व 597 में प्लाटिंग कर दीगर लोगों को प्लाट विक्रय किये जा चुके है। गैरसायलान अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 603 की सुरक्षा हेतु बाउन्ड्रीबाल का निर्माण करवा रहे थे उसी समय सायल मौके पर आ गया तथा विवाद करने लगा। सायल ने झूठे तथ्यों का दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर दिया तथा माननीय न्यायालय को गलत तथ्य देते हुए इकतरफा में स्टे आदेश प्राप्त कर लिया। खसरा नंबर 596 व 597 में गैरसायलान द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि गैरसायलान द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 603 में निर्माण कर रहे है जो मौके की स्थिति से स्पष्ट है। सायल माननीय न्यायालय के आदेश की आड में पुलिस से सांठ गांठ कर गैरसायलान को अपनी खातेदारी की भूमि में निर्माण करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:14 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(उ0मा0)

व्यवधान पैदा कर रहा है। खसरा नंबर 603 की भूमि से सायल का दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। खसरा नंबर 603 से सायल के खसरा नंबर 597 की दूरी अत्यधिक है जो नक्शा ट्रेस को देखने से ही स्पष्ट है। सायल भूमाफिया किश्म का व्यक्ति है। जिसने बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 596 व 597 से अवैध रूप से प्लाटिंग कर अपनी सम्पूर्ण भूमि को दीगर लोगों को विक्रय कर दिया है। इसके अलावा सायल ने खसरा नंबर 597/2158 एवं खसरा नंबर 596/2157 जो सिवायचक भूमि है मे अवैध रूप से प्लाटिंग की है जो मौके की स्थिति से स्पष्ट है। गैरसायल की खातेदरी भूमि खसरा नंबर 603 के उत्तर में गैरमुमकिन रास्ता खसरा नंबर 602 की भूमि स्थित है जिसमें वर्षो पूर्व से ही पक्की डामरीकृत सडक बनी हुयी है जो उत्तर से पश्चिम की ओर घूमकर दक्षिण की तरफ जाती है। गैरसायलान अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 603 की सुरक्षार्थ बाउन्ड्रीबाल का निर्माणकर रहे है। लेकिन सायल अवैधानिक तरीके से झूठे तथ्यों के आधार पर गैरसायलान के निर्माण को रूकवाना चाहता है जिसका सायल को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन ने सायल ने फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 110 प्रस्तुत की है।

जबाब के समर्थन ने गैरसायल ने फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 249, खाता संख्या 241, खाता संख्या 110, खाता संख्या 1, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकॉपी नकल खसरा गिरदावरी संवत 2074 से 2077 बाबत ख0न0 596, 597 प्रस्तुत किये है।

वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे तहसीलदार गंगापुर सिटी से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जो पत्रावली मे संलग्न है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

सायल के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने का एवं गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया।

गैरसायलान के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे मंगवाई गई मौका रिपोर्ट का अध्ययन किया। सायल ने ख0न0 597 के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। यह नम्बर सायल की खातेदारी मे दर्ज है। गैरसायलान ने अपने जबाब मे इस नम्बर मे कोई निर्माण कार्य नही करना अपने जबाब मे अंकित किया है तथा यह भी अंकित किया है कि वे ख0न0 603 मे निर्माण कर रहे है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:14 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर
(स0मा0)

दिनांक 23.9.2021 के अनुसार ख0न0 597 व 603 के बीच लगभग 40 मीटर की दूरी है। मौके पर जो निर्माण कार्य किया गया है वह किस ख0न0 मे है इस हेतु मौके पर नाप करने पर ख0न0 597 से लगते हुए ख0न0 606 का सीमाज्ञान करने पर करीब 20–25 मीटर की दोनो साईड से ऑवर लेपिंग आ रही है। निर्माण कार्य किस ख0न0 मे है इसका पता नही लग रहा है। यह तथ्य तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है। इसके पश्चात पुनः रिपोर्ट मंगवाये जाने पर तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.8.2022 मे अंकित किया है कि किसी भी ख0न0 मे निर्माण कार्य चालू नही है। गैरसायलान के कथनानुसार वे सायल की खातेदारी मे निर्माण नही कर रहे है एवं तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट इस तरह का कोई अंकन नही किया है कि गैरसायलान सायल की खातेदारी भूमि मे निर्माण कार्य कर रहे है। ऐसी स्थिति मे टी.आई. प्रार्थना पत्र मे चाही गई रिलीफ उन्हे दिया जाना संभव नही है तथा सायल का टी.आई. प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है परन्तु चूकि मामला मौके पर निर्माण कार्य करने का है। ऐसी स्थिति मे गैरसायलान को इस बात के लिए पाबंद किया जाना उचित है कि वे सायल की अथवा गैरसायलान की भूमि मे किसी भी प्रकार का निर्माण सक्षम स्वीकृति के बिना नही करें। इसी अनुसार टी0आई0 प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.6.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वैकेट की जाती है। साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि गैरसायलान निर्माण कार्य करने से पूर्व भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार गंगापुर सिटी से करवा कर ही निर्माण कार्य करें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2023.04.13 16:57:14 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)